संख्या–वे0आ0–2–179 / दस–2007–44 / 2001टी0सी0

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव–II
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

(1) समस्त प्रमुख सचिव,/सचिव ,उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 01 फरवरी , 2007

विषयः समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वैयक्तिक रुप से अगला वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या वे0 आ0–2–1091 / दस–2001–45(एम) / 99,दिनांक 16 नवम्बर,2002 तथा शासनादेश संख्या वे0 आ0–2–1658 / दस–2001–45(एम) / 99, दिनांक 3 सितम्बर,2001 के प्रस्तर–1(3) सपठित शासनादेश संख्या वे0 आ0–2–560 / दस–45(एम) / 99,दिनांक 2 दिसम्बर,2000 प्रस्तर–4(1) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतनमान रु0 2550–3200 में कार्यरत ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनके लिए पदोन्नति का कोई पद उपलब्ध नहीं हो,उनको समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अर्न्तगत 14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रू0 2650–4000 का वेतनमान प्रथम प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान के रूप में तथा 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रू0 3050–4590 का वेतनमान द्वितीय पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 16 नवम्बर, 2002, शासनादेश दिनांक 3 सितम्बर, 2001 तथा शासनादेश दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 के सम्बन्धित प्रस्तर इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव–II

संख्या–वे0आ0–2–179 (1) / दस–2005–44 / 2001टी0सी0,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव / सचिव।
(2) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(3) उत्तर प्रदेश सचिववालय के समस्त अनुभाग।
(4) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
(5) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार
उप सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–208 / दस–2007–44 / 2001टी0सी0

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव–II
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव,/सचिव ,उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 08 फरवरी , 2007

विषयः समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वैयक्तिक रुप से अगला वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0वे0आ0–2–179 / दस –2007–44 / 2001 टी0सी0 दिनांक 1 फरवरी, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 01 फरवरी, 2007 के प्रस्तर–1 में की गई व्यवस्था को निम्नलिखित शर्तो के अधीन लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उपर्युक्त व्यवस्था दिनांक 01 फरवरी, 2007 से प्रभावी होगी।
(2) जिन कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अनुसार प्रथम वैयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में रू0 2610–3540 तथा द्वितीय वैयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में रू0 2750–4400 का वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें संशोधित व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य क्रमशः रू0 2650–3540 एवं रू0 3050–4590 के उच्चीकृत समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–22 के उप नियम (क) के खण्ड (दो) (ग) की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

2– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 01 फरवरी, 2007 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव–II

संख्या-वे0आ0-2-208(1)/दस-2005-44/2001टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
(2) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(3) उत्तर प्रदेश सचिववालय के समस्त अनुभाग।
(4) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
(5) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार
उप सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–**208**(2)/दस–2005–44/2001टी0सी0,तद्दिनांक।
प्रतिलिपि महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार
उप सचिव।

संख्या–वे0आ0–2– **208**(3)/दस–2005–44/2001टी0सी0,तद्दिनांक।
प्रतिलिपि विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार
उप सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 72 सा० वित्त–9–2–2007–(7183)–4000 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।